मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 878
24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बिहार में आवासों का निर्माण

878. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार राज्य में शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण कितने आवेदनकर्ताओं को आवास नहीं मिल पाया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि के संवितरण या अनुदान प्रक्रिया में कोई विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन की अवधि 15.06.2015 से 31.03.2022 तक थी, जो वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति

में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं और भारत सरकार ने आवास निर्माण के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में कुल 2,91,422 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 14.07.2025 तक 1,89,856 आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, बिहार राज्य में हाल ही में कुल 1,53,790 आवास स्वीकृत किए गए हैं। बिहार राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता जारी करना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और अन्य अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों के पूरा करने पर निर्भर करता है। स्वीकृत परियोजनाओं में अपेक्षित अनुपालन प्राप्त होते ही केंद्रीय सहायता की देय किस्त संबंधित राज्य सरकार को जारी कर दी जाती है, ताकि योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चिन्हित लाभार्थियों को राज्य के समतुल्य शेयर के साथ हस्तांतरित किया जा सके।

*****

दिनांक 24-07-2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 878 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत बिहार राज्य में भौतिक और वित्तीय प्रगति का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	पूर्ण/सौंपे गए आवास (संख्या)	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	अररिया	8,315	5,809	2,720	125.21	90.24
2	अरवल	4,437	4,315	1,799	66.76	52.06
3	औरंगाबाद	7,377	4,895	3,357	119.56	81.69
4	बांका	3,583	2,058	1,597	54.31	36.12
5	बेगूसराय	19,003	13,327	9,258	288.27	202.66
6	भागलपुर	9,544	6,817	5,125	150.26	116.16
7	भोजपुर	10,096	7,746	5,150	160.04	115.08
8	बक्सर	3,258	1,706	1,374	50.66	35.34
9	दरभंगा	20,461	10,384	6,651	326.26	198.04
10	गया	23,406	15,777	11,840	386.34	252.37
11	गोपालगंज	8,132	5,825	3,609	122.59	72.58
12	जमुई	6,916	5,989	4,180	104.21	87.42
13	जहानाबाद	4,288	1,635	1,306	65.72	37.71
14	कैमूर (भभुआ)	2,106	702	538	32.07	17.85
15	कटिहार	9,637	7,519	3,515	160.68	123.73
16	खगड़िया	6,840	3,283	2,633	102.87	67.02
17	किशनगंज	15,554	13,338	6,697	233.52	149.80
18	लखीसराय	4,523	2,902	2,269	69.37	49.37
19	मधेपुरा	13,560	7,204	3,085	203.75	118.48
20	मधुबनी	13,647	10,232	4,292	206.14	137.87
21	मुंगेर	4,117	2,620	2,171	63.67	46.81
22	मुजफ्फरपुर	19,031	12,714	7,227	297.1	205.60
23	नालंदा	7,314	2,776	2,353	111.4	67.25
24	नवादा	6,674	4,301	2,903	101.5	59.24
25	पश्चिम चंपारण	9,868	6,014	3,771	149.22	101.04
26	पटना	26,612	22,478	17,740	461.17	375.38
27	पूर्वी चंपारण	28,505	25,112	14,973	430.64	295.31
28	पूर्णिया	22,226	14,129	8,214	363.02	240.34
29	रोहतास	13,126	7,245	5,232	198.39	127.35

30	सहरसा	22,999	11,266	9,452	345.79	211.50
31	समस्तीपुर	11,594	2,515	1,437	175.56	88.20
32	सरन	17,175	12,264	6,727	258.52	163.31
33	शेखपुरा	3,017	1,562	960	45.56	28.40
34	शिवहर	3,981	3,781	3,018	59.79	51.01
35	सीतामढ़ी	16,665	12,065	7,445	251.55	167.15
36	सिवान	8,805	3,696	2,550	133.02	75.82
37	सुपौल	7,818	4,239	2,357	117.7	73.27
38	वैशाली	21,002	16,229	10,338	319.3	232.87
कुल		4,45,212	2,96,469	1,89,863	6,911.49	4,651.4